

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना हेतु आवेदन

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना, द्वारा "मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना" प्रारम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु निम्न शर्तें अनिवार्य हैं:

1. आवेदक की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. आवेदक बिहार का मूल निवासी हो।
3. कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य अनुभव हो।
4. वार्षिक आय ₹1,20,000/- से अधिक न हो।
5. आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हो।
6. आवेदक विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत हो।

आवेदन प्रक्रिया:

- आवेदन, विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाना अनिवार्य होगा।
- विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://state-bihar-gov-in/yac/> पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड की जा सकती है।
- आवेदक को सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन-पत्र अपने जिला के जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा।

योजना की विस्तृत जानकारी एवं सहायता हेतु अपने जिला के जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

निदेशक,

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय,

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना हेतु आवेदन-पत्र प्रारूप

हस्ताक्षर

(क) आवेदक की प्राथमिक जानकारी:

1. कलाकार का नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. लिंग: पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य
4. जन्म-तिथि (DD/MM/YYYY): (प्रति संलग्न करें)
5. आयु (आवेदन के दिन):..... वर्ष..... माह..... दिन (प्रति संलग्न करें)
6. कैटेगरी: SC/ST/OBC/GEN:
7. स्थायी पता (ग्राम/टाउन, पोस्ट, थाना):.....
8. जिला: पिन कोड:.....
9. मोबाइल सं०:
10. ईमेल (if any):
11. आधार कार्ड सं० :(प्रति संलग्न करें)
12. पैन कार्ड सं०:(प्रति संलग्न करें)
13. कलाकार पंजीकरण पोर्टल क्रमांक संख्या:(कलाकार के होम पेज पर दर्शित हो रहे पंजीकरण संख्या की प्रति संलग्न करें/फोन पर प्राप्त पंजीकरण संदेश की प्रति संलग्न करें)।

(ख) कार्य अनुभव की जानकारी (Experience)

1. कला का प्रकार (जैसे - लोक संगीत/नृत्य/चित्रकला/नाटक/आदि):.....
2. कला के क्षेत्र में कुल कार्य अनुभव:वर्ष

कार्य अनुभव की जानकारी: (कलाकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों के कार्यों को दर्शाता दस्तावेज यथा कार्यादेश/प्रमाण पत्र/पुरस्कार/अन्य साक्ष्य:

क्र.	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	स्तर (जिला/राज्य/राष्ट्रीय)	विभाग/एजेंसी/ऑर्ग नाइजर का नाम	प्रमाण पत्र/पुरस्कार (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)

(ग) क्या आवेदक की आय ₹1,20,000/- से कम है? हाँ ☐ नहीं ☐

1) यदि हाँ, तो कलाकार की वार्षिक आय:

(आय प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न करे जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी हो)।

(घ) बैंक जानकारी: (कॉपी संलग्न करे)

खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	शाखा	खाता संख्या	IFSC कोड

(ङ) आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची पर सही चिह्न लगायें:

1. आधार कार्ड की प्रति ☐
2. स्थायी निवासी हेतु प्रमाण-निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड की प्रति ☐
3. पैन कार्ड की प्रति ☐
4. जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल प्रमाण पत्र/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र ☐
5. आय प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी ₹1,20,000/- से कम आय का प्रमाण) ☐
6. कला के क्षेत्र में कार्य अनुभव से संबंधित साक्ष्य यथा प्रमाण पत्र, कार्यादेश भुगतान का साक्ष्य/अन्य साक्ष्य ☐
7. पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (1 प्रति) ☐
8. बैंक पासबुक की प्रति ☐
9. कलाकार पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण संख्या हेतु कलाकार के होम पेज पर दर्शित हो रहे पंजीकरण संख्या की प्रति संलग्न करे/फोन पर प्राप्त पंजीकरण संदेश की प्रति संलग्न करें। ☐
10. कला के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण (संलग्न किया गया हो) ☐
11. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुशंसा पत्र।

स्व-घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....निवासी यह स्वेच्छा एवं

पूर्ण चेतना से घोषणा करता/करती हूँ कि—

1. मैं भारत का नागरिक हूँ एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरी वार्षिक आय ₹1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये) से कम है।
3. मेरी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है।
4. मैं पारंपरिक/शास्त्रीय/चाक्षुष/प्रदर्श कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ/हुई हूँ और इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर चुका/चुकी हूँ।
5. मैं किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में कार्यरत/सेवानिवृत्त नहीं हूँ।
6. मैं 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कला के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहा/रही हूँ।
7. मैं भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित “ कलाकार पेंशन योजना” का लाभ नहीं ले रहा/रही हूँ।
8. मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सत्य, वास्तविक और प्रामाणिक हैं।
9. यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मुझे योजना से वंचित किया जा सकता है एवं मेरी पेंशन बंद करते हुए राशि की वसूली भी की जा सकती है।

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक—.....

स्थान—.....

हस्ताक्षर—.....

(आवेदक का नाम पूर्ण अक्षरों में)

अनुशंसा पत्र

(संबंधित जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा निर्गत)

मैं, यह अनुशंसा करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्री
.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी .
.....जिला—..... का
कला क्षेत्र में 10 वर्ष/10 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय योगदान रहा है।

प्रमाणकर्ता का नाम/पदनाम

.....

मुहर/हस्ताक्षर

.....